

आयुक्त संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण, सिन्धु

कार्य सं० १६५।

[स्थायी रूप से संशोधित]

[बोर्ड के अधिसूचना सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

*Notice upload
13/07/2018*

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण।

(वैश्व विज्ञान १२० अभिप्रेत हुआ १२११)

SAR 18/2014-15

विभाग

श्री आमाद लखड़ा

श्री जवाहर लाल

सिन्धु

सिन्धु

CNTA

क्र.सं.	नाम	दिनांक	पुस्तक की संख्या	पुस्तक की संख्या	अवधि
25/8/201		17-11-21	27-5-18	91-17	
		18-1-21		6-2-17	
		4-3-22	7-18	27-2-17	
		12/4/22			
		17/6/22	28-8-15	29-3-17	
		2/8/22	31-10-18	24-4-18	
		8/8/22		24-5-17	
		2-11-22	2-1-19	21-6-17	
			6-2-019	26-7-18	
			15-5-19	23-8-17	
			5-7-19	4-10-18	
			28-8-18	8-11-17	
			23-10-19	20-12-17	
			29-1-20	9-2-18	
			4-3-20	7-3-18	
			6-5-20	11-4-18	
			10/1/11		
			2-06-2021		

10

आदेश-पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक-ता०..... से तक
 जिला-सिमडेगा, संख्या. SAR 18/2014-15 आम्बिक लम्डा
 कोस का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969
 वनाम
जवाहर साहु
 आदेश की कम सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर की गई कार्रवाई
 और तारीख

28-4-2014

श्री आम्बिक लम्डा
 पिता जालाजस लम्डा
 साकिन धानी लाल सिमडेगा थाना सिमडेगा
 जिला-सिमडेगा ने आवेदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित
 जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी जवाहर साहु
1 फल रघुवीर साहु

28-9-10
 19-4-16
 16-11-16
 5-12-11
 9-1-13

साकिन साहु मुहल्ला नाथ बाजार 19 धाना सिमडेगा
 जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार
 अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का
 अनुरोध करते हैं।

ग्राम <u>सिमडेगा नाथ बाजार</u>	खाता सं०- <u>75</u>	प्लॉट सं० <u>157</u>	रकबा <u>33'225 1/2</u> 0.02
--------------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 5-7-2014
 को उपस्थापित करें।

[Signature]
 अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
 सिमडेगा।

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं०-एस०ए०आर० 18/2014-15
दिनांक.....

अमोद लकड़ा
बनाम
जवाहर साहु


आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अमोद लकड़ा, पिता-स्व० जोलजस लकड़ा, साकिन-घोचो टोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी जवाहर साहु, पिता-रघुवीर साहु, साकिन-साहु मुहल्ला, नीचे बाजार, थाना-सिमडेगा जिला-सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं०-16/2014-15 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:-

<u>मौजा</u>	<u>खाता नं०</u>	<u>प्लॉट नं०</u>	<u>रकबा</u>
सिमडेगा	75	157	0.02 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 157/विधि, दिनांक 04.07.2014 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 29.04.2015 से 29.08.2016 तक एवं 24.05.2017 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं०-18/2014-15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।